राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प – बांसियाल

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 130/2017

1. महेन्द्र सिंह पुत्र स्व. भग्गु सिंह उर्फ भागुसिंह
2. फूलसिंह पुत्र स्व. भग्गु सिंह उर्फ भागुसिंह
3. किशोर सिंह पुत्र स्व. भग्गु सिंह उर्फ भागुसिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी मारवुवाली अशोक नगर तन् त्यौंदा तहसील खेतड़ी।

....वादीगण

बनाम

1. सुमन पुत्री स्व. भग्गु सिंह उर्फ भागुसिंह पत्नी महाबीर सिंह आयु 40 वर्ष
2. मंजू पुत्री स्व. भग्गु सिंह उर्फ भागुसिंह पत्नी रोशन सिंह आयु 30 वर्ष जाति राजपूत निवासी ढाणी मारवुवाली अशोक नगर तन् त्यौंदा तहसील खेतड़ी हाल आबाद ढाणी गंगा जी पोस्ट राजनोता तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।
3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

.....प्रतिवादीगण

दावा– अधिकार घोषणा

निर्णय **दिनांक 19–11–2021**

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम अशोक नगर स्थित खाता संख्या 98 जमाबंदी संवत् 2072–2075 खसरा नंबर 466 रकबा 0.52 है. के एकांकी खातेदार मालसिंह पुत्र सुखसिंह राजपूत दर्ज रिकार्ड है। खातेदार मालसिंह का दिनांक 10.03.1997 को स्वर्गवास हो चुका है, उनका अविवाहित नाऔलाद देहान्त हो गया उनके कोई वारिश/उत्तराधिकारी नहीं है। वादीगण, प्रतिवादीनी सं. 1 व 2 के पिता स्व. भग्गुसिंह उर्फ भागुसिंह व मृतक मालसिंह भाई थे। अतः मालसिंह के देहान्त के बाद वाद वर्णित भूमि पर वादीगण के पिता भग्गुसिंह उर्फ भागुसिंह काबिज काश्त थे उनके देहान्त के बाद वादीगण, प्रतिवादीनी सं. 1 व 2 काबिज काश्त हैं। मृतक मालसिंह के वादीगण, प्रतिवादीनी सं. 1 व 2 के अलावा अन्य कोई वारिश नहीं है। वादीगण को विरासतन खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। लेकिन उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं हुआ है इसलिए यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम अशोक नगर स्थित भूमि खसरा नंबर 466 रकबा 0.52 है. के वादीगण, प्रतिवादीनी सं. 1 व 2 को खातेदार काश्तकार घोषित कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 2 का इकबालिया जवाब पेश हो चुका है। प्रतिवादी सं. 3 बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.07.11 14:25:15 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभि[illegible]21 में आयोजित लोक अदालत/ केम्प कोर्ट बांसियाल में पेश हुई। वादी[illegible] द्वारा प्रस्तु[illegible] अभि[illegible] नकल जमाबंदी संवत् 2072–2075, फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र दि[illegible] प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम त्यौंदा का अवलोकन किया गया व वाद पत्र [illegible] अध्ययन किया गया। [illegible] उपस्थित लोगों से पूछताछ की गई उन्होंने अवगत करवाया [illegible] स्व. माल सिंह की पत[illegible] है। इस प्रकार मृतक खातेदार की भूमि बाबत विरासतन नामांतकरण हेतु विधि के प्रावधानानुसार वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)

को तहसीलदार खेतड़ी के यहां चाराजोही करनी चाहिए। अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाना विधि सम्मत नहीं हैं लिहाजा

आदेश

वाद वादीगण खारिज किया जाता है। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज लोक अदालत कैम्प बांसियाल में दिनांक 19–11–2021 को मजमे आम में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.07.11 14:25:15 IST
Reason: SelfAttested